

न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप, जिला-जोधपुर  
 बड़ेजलास पीठाधीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रतिवादीगण  
 1. देवदाराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 2. धनराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 3. मालराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 4. हीराराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 5. श्रीमती जमना पत्नी स्व. श्री श्रीरव  
 6. राजराम पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 7. जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 8. सुरेश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 9. बजरंग पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 10. पुष्पा पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 11. माया पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 12. लीला पुत्री स्व. श्री श्रीरव

वनाम

वादीगण  
 1. महिनराम पुत्र स्व. श्री मिश्राराम  
 2. बजराम पुत्र स्व. श्री मिश्राराम  
 3. देहनराम पुत्र स्व. श्री मिश्राराम  
 4. श्रीमती बूढ़ी पत्नी स्व. श्री मिश्राराम  
 5. श्रीमती जमना पत्नी स्व. श्री मिश्राराम  
 6. राजराम पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 7. जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 8. सुरेश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 9. बजरंग पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 10. पुष्पा पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 11. माया पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 12. लीला पुत्री स्व. श्री श्रीरव



प्रतिवादीगण  
 1. देवदाराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 2. धनराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 3. मालराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 4. हीराराम पुत्र स्व. श्री रामलाल  
 5. श्रीमती जमना पत्नी स्व. श्री श्रीरव  
 6. राजराम पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 7. जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 8. सुरेश पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 9. बजरंग पुत्र स्व. श्री श्रीरव  
 10. पुष्पा पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 11. माया पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 12. लीला पुत्री स्व. श्री श्रीरव  
 13. भागीरथराम पुत्र स्व. श्री लाल  
 14. सहीराम पुत्र स्व. श्री लाल  
 15. श्रीमति कमला पत्नी पद्मराम  
 सभी जति विधनाई निवासी  
 राधोषी तहसील बाप जिला  
 16. सनेजर एस.बी.आई. शाखा  
 17. सनेजर मऊधरा गामीण  
 18. सनेजर यूको बैंक शाखा  
 19. साउदेवी पत्नी देवदाराम  
 निवासी रामपुरा राधोषी  
 20. राजस्थान राज्य जति

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान कायदेक  
 राजस्व वाद संख्या:-112/2016

राजस्थान न्यायालय  
 जोधपुर जिला न्यायालय

मशा मानने को लम्बा करने की होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र के  
 का प्रार्थना पत्र तथा इस बहस में कोई विधिक सारभूत बिन्दु नहीं होने से तथा प्रतिवा  
 अवलोकन के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्  
 प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर  
 पत्रावली में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं दरखावेजाल का अवलोकन किया गया।  
 अंतिम हिकी जायी की जावे।  
 निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर  
 बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपति पेश की गई है तथा वादीगण को पेशान कर रहे है तथा  
 करते हुए पेश किया है तथा प्रतिवादीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को लम्बा करने की नि  
 दृष्टिगोचर होता है कि बंटवाड़ा तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद को लम्बा करने की नि  
 आपति करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव को अवलोकन क  
 होने पर भी दावा का जवाब पेश नहीं किया गया है इसलिए उनका बंटवाड़ा प्रस्ताव पर  
 मांगया जावे। जिस पर वकील वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगणों द्वारा लम्बा समय व  
 बैठकर नबशा बनाकर पेश किया है तथा सलन नबशा मौके से भिन होने से बंटवाड़ा प्रस्ताव  
 से पालना नहीं हुई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं जाकर केवल पटवारी द्वारा कायाँल  
 तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव में बंटवाड़ा के नियमों की पूर्ण  
 वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में वी  
 इस्तफार नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव केवल पटवारी द्वारा कायाँल के नियमों की पूर्ण  
 बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया है। तथा प्रस्ताव पर भरे पक्षकारान  
 प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण वकील श्री मदनसिंह भाटी ने ऐतराज पेश कर निवेदन किया गया कि  
 गया जिस पर तहसीलदार बाप द्वारा विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव पेश किया। जिस बंटवाड़े  
 दिनांक 05.06.2018 को प्राथमिक हिकी जायी करके बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार बाप से मांगया  
 प्रतिवादीगणों से अलग किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन प्रस्ताव पेश किया।  
 देवलीनगर के खसरा नंबर 431 रकबा 91.04 बीघा, खसरा नंबर 436 रकबा 70 बीघा भूमि का अपने हिस्से में आने वाली भूमि को  
 0.05 बीघा, खसरा नंबर 431 रकबा 91.04 बीघा, खसरा नंबर 433 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 435 रकबा  
 के खसरा नंबर 431 रकबा 91.04 बीघा, खसरा नंबर 436 रकबा 70 बीघा भूमि का अपने हिस्से में आने वाली भूमि को  
 वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निन प्रकार से है कि वादीगणों द्वारा विवादित भूमि ग्राम रामपुरा  
 दिनांक:- 31.12.19

निर्णय

- उपस्थित:-
1. श्री ओमप्रकाश गौदारा वकील वादीगण की ओर से
  2. श्री मदनसिंह भाटी वकील 1 ता 4 व 13, 14 की ओर से

जाकर बाद वादीगण इस प्रकार लिखी किया जाता है कि तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत बट  
 नस्तीव अनुसूच्य वादीगणों को उपरोक्त भूमि का बटवाड़ा में दी जाकर इसी अनुसार विवाद  
 उत्तरान का बटवाड़ा ग्राम रामपुरा के खसरा नंबर 431, 433, 435, 436, 437 रकबा कमा 9  
 0.17, 0.05, 63.11, 190.10 बीघा कुल रकबा 346.07 बीघा एवं ग्राम देवलीनगर के खसरा नंबर  
 रकबा 70 बीघा का बटवाड़ा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	पक्षकारान का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	विभाजन
1	मोहनराम, बाबूराम, सोहनराम	431	22.16	किस्म बायानी-3	संलग्न नजदी नक्शा अ
	पि. मिश्रीराम, बंधी पत्नी	437	47.13	किस्म बायानी-3	
2	मोहनराम, बाबूराम, सोहनराम	436	16.03	किस्म बायानी-3	संलग्न नजदी नक्शा 3
	सोहनराम व बंधी का हिस्सा				
	देह खातेदार रहन पी.एन.बी				
	मिश्रीराम जाति विरनोई सा.				
	देह हजारीप्रसाद पि. शैतानाराम				
	जाति विरनोई सा. कालनसर				
	रहन यूको बैंक सोहनराम व				
	बंधी का हिस्सा				
3	वीरवलराम, भागीरथराम, सहीराम	431	22.16	किस्म बायानी-3	संलग्न नजदी नक्शा अ
	पि. लालराम जाति विरनोई	437	47.12	किस्म बायानी-3	
	सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक	436	16.04	किस्म बायानी-3	
	बाबू बाप				
4	हीराराम पि. पन्नाराम जाति विरनोई	431	22.16	किस्म बायानी-3	संलग्न नजदी नक्शा
	सा. देह खातेदार रहन पी.एन.बी	437	47.12	किस्म बायानी-4	
	फलोदी खसरा नंबर 431, 436 में	433	0.17	किस्म पी.सु.ढाणी	
		435	0.05	किस्म पी.सु.ढाणी	
		436	15.01	किस्म बायानी-3	
		431	22.16	किस्म बायानी-3	संलग्न नजदी नक्शा
5	पूरुयाम, मालाराम पि. रामलाल,	431	22.16	किस्म बायानी-3	
	कमला पतिन पूरुयाम जाति विरनोई	437	47.13	किस्म बायानी-3	
	सा. देह खातेदार रहन पी.एन.बी.	436	16.03	किस्म बायानी-3	
	बाबू फलोदी पूरुयाम का हिस्सा				
	रहन एरसबीबीज बाबू फलोदी				
	मालाराम का हिस्सा रहन आरएमजीबी				
	बाबू बाबू शोखार कमला का हिस्सा				



(महावीर सिंह)  
 सहायक कलेक्टर  
 (जायपुर)

निर्णय आज दिनांक 31.12.19 खूले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का स  
 रेकर्ड में अमल दरमद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 15 व 19 के स  
 रेकर्ड अलग-अलग खाते कायम कर हसी अनुसार नक्शा तैयार करें। संलग्न न  
 नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग समझा जायेगा। अंतिम हिकी पूर्वा अलग से जारी हो। पत्रा  
 फ़ैसल ब्युमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ़तर हो।

5 माहनराम, बाबूराम, सोहनराम  
 पि. मिश्रीराम जाति विरनोई सा.  
 देह खातेदार रहन यूको बैंक बाप  
 7 बशी पति मिश्रीराम जाति विरनोई  
 सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक बाप  
 8 हीराराम पि. पन्नाराम जाति विरनोई  
 सा. देह खातेदार  
 9 पुरराम, मालराम पि. रामलाल  
 कमला पति पुरराम जाति विरनोई  
 सा. देह खातेदार  
 10 मानीरराम, बीरबलराम पि.  
 लखाराम जाति विरनोई सा.  
 देह खातेदार

340	13.02	बारानी-4 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
340	10.05	बारानी-4 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
340	17.10	बारानी-4 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
340	17.10	बारानी-4 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
340	11.13	बारानी-4 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

